न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या–21, सुलतानपुर।

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–5066 / 2018

तेज बहादुर मौर्य––––––––––––––––––बनाम––––––––––––––––––दिवाकर सिंह रघुबंशी

धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम

थाना–कोतवाली नगर, जिला–सुलतानपुर

दिनॉक–24.05.2019:–

पत्रावली आज पेश हुई। वादी मुकदमा मय अधिवक्ता उपस्थित आये। वादी मुकदमा तेज बहादुर मौर्य की ओर से प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में विवादित चेक की धनराशि अभियुक्त दिवाकर सिंह रघुबंशी द्वारा अदा कर दिया गया है, जो उसके द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। प्रश्नगत चेक के सन्दर्भ में कोई लेना–देना शेष नहीं हैं। जिस कारण वह प्रस्तुत परिवाद को लड़ना नहीं चाहता है। अतः परिवाद पर बल न देने के कारण परिवाद की समस्त कार्यवाही समाप्त करके परिवाद उठाये जाने की अनुमति प्रदान की जाय।

प्रार्थी अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अन्तर्गत प्रश्नगत चेक सम्बन्ध में परिवाद दाखिल किया गया हैं। प्रश्नगत चेक की धनराशि के सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त से धनराशि प्राप्त कर चुका है। जिस कारण उभयपक्ष के मध्य आपस में सुलह हो जाने के कारण विवाद समाप्त हो गया हैं। जिनके मध्य अब कोई लेन–देन शेष नहीं हैं। वादी मुकदमा द्वारा बिना किसी जोर दबाव के प्रस्तुत वाद को समाप्त किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर याचना की गयी हैं। चूॅकि प्रस्तुत मामले को वादी मुकदमा जो स्वयं पीड़ित है, स्वेच्छा से वाद समाप्त कराये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। अतः मामले के तथ्यों एंव परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य हैं।

आदेश

वादी मुकदमा तेज बहादुर मौर्य द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता हैं। प्रश्नगत वाद निस्तारित किया जाता हैं। अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाता हैं। अभियुक्त जमानत पर हैं। अभियुक्त का जमानतनामा निरस्त किया जाता है तथा प्रति भूगण को उन्मोचित किया जाता हैं। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही पश्चात दाखिल दफ्तर हो।

ह0 / –

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कक्ष संख्या–21, सुलतानपुर।

दिनॉक–24.05.2019